

2021/701

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कागलवा की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 1975-78 की खाता संख्या 38 में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति मंजवा सुनी मरिया दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति मंजवा सुनी भरलाल हैं।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

मंजवा

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति मंजवा सुनी मरिया के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति मंजवा सुनी भरलाल दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

दस्तावेज

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त कागलवा

पटवारी हल्का कागलवा

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कुचनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुचनपुर
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति मंजवा हरी मेरुपाल राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है।


तहसीलदार सांगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कुचनपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुचनपुर
तहसीलदार सांगोद की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति मंजवा हरी मेरुपाल
..... दर्ज रिकार्ड की जाए।


उपखण्ड अधिकारी सांगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
 (शिविर स्थान)


प्राथी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी आदेश दिनांक 16/11/21

य. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
 नायब तहसीलदार

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व
 जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	कागवा	38	भोजना उरी भरीप	भोजना उरी भरीप


 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

 शांमोह जिला कोट


दिनांक :- 16-11-21

क्रमांक :- 2991
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
 शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्राथी श्री को सूचनार्थ ।

3. रक्षित पत्रावली


 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

 शांमोह जिला कोट